संख्या:182/2019/502/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
वाराणसी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 27 फरवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी की विधान सभा क्षेत्र-कैण्ट से संबंधित कार्यो हेतु रू. 497.129 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 497.129 (रूपये चार करोड़ सत्तान्बे लाख बारह हजार नौ सौ मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू.में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (किमी)**	**लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	कैण्ट	लहरतारा नई बस्ती में श्री मती मुन्नी देवी के प्लाट नम्बर 212 से श्री रिंकू राय के मकान तक पिच रोड निर्माण का कार्य	0.134	7.50	7.50
2	कैण्ट	लहरतारा ककरिया में श्री सौरभ गुप्ता जी के प्लाट नम्बर 138 से श्री सन्तोष केशरी जी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.082	2.72	2.72
3	कैण्ट	लहरतारा नई बस्ती में श्री रामकुमार जी के प्लाट नम्बर 214 से श्री लाल जी के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.061	1.83	1.83
4	कैण्ट	लहरतारा में श्री गोपाल वर्मा जी के मकान नं. डी 65/109 से श्री जवाहिर मौर्या के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.013	0.38	0.38
5	कैण्ट	सुदामा सोनकर बस्ती में श्री गोरी संकर जी के मकान नं. एन 18/123 से स्वं जग्गन प्रसाद जी के मकान नं. 15/123 एफ से होते होते हुए श्री राज कुमार प्रजापति जी के मकान नं. एन 15/108 तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.062	3.56	3.56
6	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में श्री भरत गुप्ता जी के मकान से कालिन्दी भवन तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.232	27.21	27.21
7	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में रामा छात्राबास से श्री केशव सिंह जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.327	34.41	34.41
8	कैण्ट	ग्राम सबा भगवान पुर में श्री जवाहर पाण्डे जी के मकान से श्री शर्मा जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.181	21.56	21.56
9	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में श्री रवि पटेल जी के मकान से श्री सुभाष उपाध्याय जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.305	33.89	33.89

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
10	कैण्ट	ग्राम सभा भगवान पुर में श्री लकन सोनकर जी के मकान से श्री बहादुर सोनकर जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.097	3.26	3.26
11	कैण्ट	ग्राम सभा भगवान पुर में श्री वसन्त जी के मकान से श्री रमा शंकर जी के मकान से होते हुए राम तिवारी जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.234	25.35	25.35
12	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में श्री पवन सिंह जी के मकान से श्री रमेश पाण्डे जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.106	13.12	13.12
13	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में श्री वशिष्ठ जी के मकान से श्री रमाशंकर जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.096	10.71	10.71
14	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में विश्वास कालोनी से डा. श्री वीरेन्द्र शर्मा जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.105	11.30	11.30
15	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में श्री वी0आर0यादव जी के मकान से श्री चत्तर सिंह जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.118	14.67	14.67
16	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में श्री बेटू यादव जी के मकान से श्री सत्यनारायण पटेल जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.181	18.95	18.95
17	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में श्री लालमन पटेल जी के मकान से श्री सत्यनारायन पटेल जीके मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.085	4.85	4.85
18	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में बंगाली मोड़ से शायर माता मन्दिर के अन्त तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.085	6.11	6.11
19	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में आलोक श्री वास्तव जी के मकान से गली नं. 05 तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.126	12.63	12.63
20	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में श्री किशोरी विश्वकर्मा जी के मकान से श्री बांसदेव पटेल के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.045	3.17	3.17
21	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में श्री सुभाष विश्वकर्मा जी के मकान से श्री दिलीप पटेल जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.186	12.67	12.67
22	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में श्रीमती देवी जी के मकान से श्री प्रकाश जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.122	12.46	12.46
23	कैण्ट	ग्राम सभा भगवानपुर में श्री राजनाथ जी के हास्टल से शंकर जी के मन्दिर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.275	27.73	27.73
24	कैण्ट	भगवानपुर छित्नुपुर मुख्य मार्ग से संदीप संड जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.134	13.43	13.43
25	कैण्ट	महामना नगर कालोनी में श्री कुसुम द्विवेदी जी के मकान नं0 एन 4/15 आर-4 से श्री यू.एस. द्विवेदी जी के मकान नं. एन 4/35 सी-9 से होते हुए मकान नं. एन 4/35 सी-94 से बी-एम छात्रावास तक निर्माण कार्य	0.153	14.07	14.07
26	कैण्ट	श्री राम नगर कालोनी में प्लाट नं. 82 से 76 होते हुये प्लाट नं. 305 बी तक पिच रोड निर्माण कार्य ।	0.126	12.40	12.40
27	कैण्ट	राम नगर के सुल्तान पुर में श्री सन्तोष पाण्डे जी के घर से ब्रम्हबाबा तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.36	26.976	26.976
28	कैण्ट	34. राम नगर के सुल्तानपुर में श्री जगरनाथ सेठ जी के मकान से भगावन हरिजन के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.14	13.833	13.833
29	कैण्ट	रामनगर के सुल्तानपुर में श्री गोपाल सिंह जी के मकान से श्री रंजन विश्वकर्मा जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.141	11.118	11.118
30	कैण्ट	राम नगर के सुल्तानपुर में श्री छन्नू खटीक के कटरे से श्री पन्ना लाल गुप्ता जी के मकान तक पिच रोड निर्माण कार्य ।	0.127	3.303	3.303

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	विo सo क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
31	कैण्ट	तुलसीपुर वार्ड में ताराधाम कालोनी में पानी टंकी के बगल में श्री विश्वनाथ जायासवाल के मकान से लेकर श्री रामसंकर जी के मकान नं. बी-37/217-5 से होते हुए श्री अशोक सिंह जी के मकान नं. बी 38/217 ए-12-1 तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.058	2.44	2.44
32	कैण्ट	तुलसीपुर वार्ड के अजमत गढ़ प्राथमिक विद्यालय के बगल वाली गली में हरिओम मेडिकल के सामने से हनुमान मन्दिर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.051	3.725	3.725
33	कैण्ट	तुलसीपुर वार्ड के पंचफेवड़ा में श्री भईलाल पटेल जी के मकान नं. डी 63/34 से लेकर राजेन्द्र कुमार के मकान नं. डी-63/29 तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.067	1.08	1.08
34	कैण्ट	जोल्हा उत्तरी वार्ड के बड़ी गैवी में मकान नं. एन-15/179 ए-4 से मकान नं0-एन15/179 ए-बी -4 तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.054	2.23	2.23
35	कैण्ट	राजेन्द्र विहार कालोनी के लेन न0-6 में श्री आर डी सिंह के मकान नं.-8/180 के-एल-से श्री सियाराम तिवारी जी के मकान नं. 8/144 एच-के-डी तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	0.086	13.607	13.607
36	कैण्ट	अस्सी के पास डा. हरिप्रसाद मिश्रा जी के मकान से श्री पंकज शुक्ला एवं श्री यू0के0 चौधरी जी के मकान से निरहू सरदार के पास नारायन घाट मन्दिर तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.18	18.965	18.965
37	कैण्ट	बजर डीहा वार्ड में श्री फूलचन्द्र जी के मकान से श्री मुन्ना लाल जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.075	3.153	3.153
38	कैण्ट	बजर डीहा वार्ड में दबंग रोल कार्नर के बगल वाली गली में इण्टरलाकिंग का कार्य	0.062	3.407	3.407
39	कैण्ट	शिवपुरवा वार्ड के निराला नगर के लेन नं. 11 में श्री रमेश कुमार सिंह जी के मकान नं. डी 59/235 -6-आर-एम से लेकर श्री अजीत सिंह के मकान तक तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.046	4.936	4.936
40	कैण्ट	सराय सुर्जन वार्ड के वृजइंकलेव में कादिम्बनी के मकान नं. एन.13/41 सी से श्री राम लाल जी के मकान नं. एन 13/40 तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	0.058	4.622	4.622
41	कैण्ट	नेवाडा वार्ड के केदार नगर में मकान नं. एन-8/247 सी-1 से लेकर श्री राजेश कुमार जी के मकान नं. एन 8/247 सी-2 तक तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	0.149	6.988	6.988
42	कैण्ट	नेवादा वार्ड के राजेन्द्र विहार कालोनी के लेन नं. 06 मे बी एल अग्रवाल जी के मकान नं. एन 8/180 आर- 105 ए से लेकर डा. वी.के. सिंह जी के मकान से होते हुए श्री राजेश गुप्ता जी के मकान नं. एन. 8/144- आर -5-1 तक तक इण्टरलाकिंग कार्य ।	0.252	22.08	22.08
43	कैण्ट	जोल्हा उत्तरी वार्ड के बड़ी गैवी के वि.डी.ए कालोनी में अखाड़े के पास प्लैट संख्या एल. बी.1 से लेकर एल.बी. 12 तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.033	3.186	3.186
44	कैण्ट	निराला नगर के लेन नं. 10 में श्री मति नीना सिंह जी के मकान नं. डी 59/235 के-जे-एस से श्री नरेश मौर्या जी के मकान तक इण्टरलाकिंग का कार्य ।	0.026	1.54	1.54
		योग विधान सभा क्षेत्र कैण्ट	**5.636**	**497.129**	**497.129**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग है। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-शहरी क्षेत्रों में सड़को के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

संख्या:182/2019/502(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, वाराणसी।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, वाराणसी।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,वाराणसी।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।